न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 442/2024
अनवान : –

1. राजेश कुमार कानसरिया पुत्र मदन लाल अग्रवाल जाति महाजन निवासी कानसर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. लक्ष्मी देवी पत्नी मदन लाल जाति महाजन निवासी कानसर तहसील नोहर ।
2. रेखा पत्नी राकेश जाति महाजन निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
3. खुशी अग्रवाल पुत्री राकेश नाबालिग जरिये संरक्षिका दादी लक्ष्मी देवी पत्नी मदन लाल जाति महाजन निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. दिव्या अग्रवाल पुत्री राकेश नाबालिग जरिये संरक्षिका दादी लक्ष्मी देवी पत्नी मदन लाल जाति महाजन निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 13/08/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 385/271 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 13.5810 है0 भूमि में से 3289/13582 हिस्सा भूमि मृतक मदनलाल पुत्र सोहनलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है वादी के पिता मदनलाल पुत्र सोहनलाल का स्वर्गवास हो चुका है जिनके स्वर्गवास के बाद जायज वारिस लक्ष्मी (पुत्री), राजेश कुमार कानसरिया (पुत्र) व राकेश (पुत्र) हुए जिसमें राकेश पुत्र मदनलाल स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 है जिनका उपरोक्त भूमि में हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 जो कि प्रतिवादी संख्या 2 के पुत्र पुत्री है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपनी माता के पक्ष में परित्याग कर चुके है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 का कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के0 हि0 ब0 ... है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज ... विनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:18:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण पत्र मदन लाल, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता मदनलाल पुत्र सोहनलाल के नाम दर्ज है मदनलाल पुत्र सोहनलाल का देहांत हो चुका है। मदनलाल पुत्र सोहनलाल के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 जो कि प्रतिवादी संख्या 2 के पुत्र पुत्री है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपनी माता के पक्ष में परित्याग कर चुके है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 बहिब काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद [illegible] रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 [illegible] खसरे 2 की कुल तादादी 13.5810 है0 भूमि में से 3289/1[illegible] मदनलाल पुत्र सोहनलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वाद [illegible] वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता मदनलाल पुत्र सोहनलाल के नाम दर्ज है मदनलाल पुत्र सोहनलाल का देहांत हो चुका है। मदनलाल पुत्र सोहनलाल के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 है जो की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:18:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 जो कि प्रतिवादी संख्या 2 के पुत्र पुत्री है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपनी माता के पक्ष में परित्याग कर चुके है बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 बहिब काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 385/271 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 13.5810 है0 भूमि में से 3289/13582 हिस्सा भूमि में मृतक मदनलाल पुत्र सोहनलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/08/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:18:45 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 442/2024

अनवान : –

1. राजेश कुमार कानसरिया पुत्र मदन लाल अग्रवाल जाति महाजन निवासी कानसर तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. लक्ष्मी देवी पत्नी मदन लाल जाति महाजन निवासी कानसर तहसील नोहर ।
2. रेखा पत्नी राकेश जाति महाजन निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़
3. खुशी अग्रवाल पुत्री राकेश नाबालिग जरिये संरक्षिका दादी लक्ष्मी देवी पत्नी मदन लाल जाति महाजन निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. दिव्या अग्रवाल पुत्री राकेश नाबालिग जरिये संरक्षिका दादी लक्ष्मी देवी पत्नी मदन लाल जाति महाजन निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 442 सन 2024 निर्णय दिनांक 13/08/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 385/271 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 13.5810 है0 भूमि में से 3289/13582 हिस्सा भूमि में मृतक मदनलाल पुत्र सोहनलाल का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/08/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:18:45 IST
Reason: SelfAttested